334

उत्तराखण्ड शासन
राज्य सम्पत्ति अनुभाग–02,
स0– /xxxii–2–2016–2(03)/2009
देहरादून, दिनांक 21 मार्च, 2016

कार्यालय–आदेश

मा0 मुख्यमंत्री/मा0 नेता प्रतिपक्ष जी के साथ सम्बद्ध राज्य सम्पत्ति विभाग के स्टाफ कारों में निम्न विवरणानुसार जनपद भ्रमण के दौरान फिलिंग स्टेशनों द्वारा करायी गयी पी0ओ0एल0 आपूर्ति से सम्बन्धित मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग के माध्यम से प्राप्त बीजकों की **कुल धनराशि ₹6,768.00(₹ छः हजार सात सौ अडसठ मात्र)** का भुगतान शासनादेश संख्या–225/xxxi(12)/बजट–2015, दिनांक 07 मई, 2015, आवंटन पत्र संख्या– xxxi(12)/2015, अलोटमेंट आई0 डी0–H1505030038, आवंटन पत्र दिनांक 01 मई, 2015 द्वारा वरिष्ठ वित्त अधिकारी उत्तराखण्ड शासन देहरादून के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के सुसंगत मद से आहरित कर सम्बन्धित फर्म को निम्न विवरणानुसार भुगतान किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र.स.	फर्म का नाम	बीजक सं0/ दिनांक	कुल धनराशि(₹)
1	पर्वत फिलिंग स्टेशन, गोपेश्वर	2504/6.12.15	3,413.00
2	"	2190/17.01.16	3,355.00
		कुल धनराशि ₹6,768.00(₹ छः हजार सात सौ अडसठ मात्र)	

2– वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को सम्बन्धित फर्मो के नाम से के बैक ड्राफ्ट/चैक बनाते हुये सम्बन्धित फर्मो को उपलब्ध कराया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–03 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2013–मन्त्रिमरिषद–800–अन्य व्यय–03–मंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय–15–गाड़ियों का अनुरक्षण प्रेट्रौल आदि के नामे डाला जायेगा।

(धर्मेन्द्र सिंह)
अपर सचिव।

स0 276/xxxii–2–2016–2(03)/2009, तददिनांक।

प्रपिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा, सहारनपुर रोड देहरादून।
2–केन्द्रीयकृत भुगतान एंव लेखा कार्यालय/निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड/निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़ डालनवाला, देहरादून।
3–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन/उपसचिव, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4–सम्बन्धित फर्म को इस आशय के साथ उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन बीजकों का भुगतान हो चुका है, को भुगतान हेतु पुनः प्रस्तुत नही किया जायेगा, यदि कालान्तर में दोहरे भुगतान की स्थिति का संज्ञान आती है तो इसके लिये फर्म स्वय की जिम्मेदारी होगी तथा यह भी कि उक्त धनराशि प्राप्त होने की सूचना मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग को उनके अभिलेखो में प्रतिष्ट हेतु उपलब्ध कराये।
4–मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग/सम्बन्धित जिलाधिकारी/वित्त अनुभाग–05/फर्म/गार्ड/एन0आई0सी/सम्बन्धित जिलाधिकारी।

आज्ञा से
(एम0एम0सेमवाल)
संयुक्त सचिव।